

मूल वाद में डिकी

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

1. शान्ति लाल पुत्र स्व. बंशी,
 2. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. बंशी
 3. फाबूली पत्नी स्व. बंशी,
- सभी जाति बैरवा, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास,

वादीगण

बनाम


1. घमण्डी पुत्र तोफल्या
 2. जंगलिया पुत्र भौर्या,
 3. गोपाल पुत्र मुकना,
 4. श्रीमती फूला देवी पत्नी मुकना,
 5. छुट्टन लाल पुत्र मुकना,
 6. भवानी सिंह पुत्र मुकना,
- सभी जाति बैरवा, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास
7. पंजाब नेशनल बैंक, बामनवास, जरिये शाखा प्रबन्धक एवं
 8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास


प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा


राजस्व वाद संख्या 17/2015

वादीगण स्वयं उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।


आज दिनांक 21-12-25 को मुझ पीठासीन अधिकारी प्रियंका कडेला आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए इस वाद पत्र के पेश होने पर वादीगण का 


उप जिला कलेक्टर
बामनवास (स०मा०)


स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 3976 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 3977 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 3978 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 4153 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 4154 रकवा 0.10 हेक्टेयर (कुल किता 5, कुल रकवा 0.45 हेक्टेयर), हाल खसरा नम्बर 8389/3979 रकवा 0.11 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द, भूमि खसरा नम्बर 7594 रकवा 0.74 हेक्टेयर, 7596 रकवा 0.16 हेक्टेयर, 8323/7550 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 8325/7551 रकवा 0.30 हेक्टेयर (कुल किता 4, कुल रकवा 1.31 हेक्टेयर) स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी, भूमि हाल खसरा नम्बर 7040 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 7042 रकवा 0.20 हेक्टेयर व 7043 रकवा 0.27 हेक्टेयर (कुल किता 3 कुल रकवा 0.52 हेक्टेयर) स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द सी तहसील बामनवास में से आराजी खसरा नम्बर 7042/1 रकवा 0.19 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द सी (नया खाता संख्या 97 व पुराना खाता संख्या 135), 8323/7550 रकवा 0.11 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी (नया खाता संख्या 79 व पुराना खाता संख्या 95 व 96) एवं 8325/7551 रकवा 0.30 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी (नया खाता संख्या 79 व पुराना खाता संख्या 95 व 96) (रकवा 0.60 हेक्टेयर) में 2/3 हिस्सेदारी शान्ति लाल व प्रदीप कुमार पुत्रगण बंशी जाति बैरवा, साकिन बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास की रहेगी, जबकि फाबूली पत्नी बंशी जाति बैरवा, साकिन बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास की हिस्सेदारी 1/3 रहेगी । आराजी खसरा नम्बर


उप जिला कलक्टर
बामनदास (स०मा०)

8389/3979 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 3976 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 3977 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 3978 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 4153 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 4154 रकवा 0.10 हेक्टेयर, 7594 रकवा 0.74 हेक्टेयर, 7596 रकवा 0.16 हेक्टेयर (कुल रकवा 1.46 हेक्टेयर) में से गोपाल पुत्र स्व. मुकना की हिस्सेदारी 1/12, नाबालिग छुट्टन एवं भवानी सिंह पुत्रगण स्व. मुकना की हिस्सेदारी 1/6 बराबर, फूला देवी पत्नी स्व. मुकना की हिस्सेदारी 1/12, घमण्डी पुत्र तोफल्या की हिस्सेदारी 1/3, रामअवतार, रामनरेश एवं रामेश्वर पुत्र जंगलिया जाति बैरवा निवासी बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास की हिस्सेदारी बराबर 1/4, सरबती पत्नी जंगलिया, जाति बैरवा निवासी देह की हिस्सेदारी 1/1 होगी। खातेदार गोपाल पुत्र मुकना का खसरा नम्बर 3976, 3977, 3978, 4153 एवं 4154 में 1/16 हिस्सा एस. बी.आई. शाखा बामनवास को रहन रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 7040 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 7042/2 रकवा 0.01 हेक्टेयर एवं 7043 रकवा 0.27 हेक्टेयर (कुल रकवा 0.33 हेक्टेयर) में गोपाल पुत्र मुकना की हिस्सेदारी 1/12, नाबालिग छुट्टन एवं भवानी सिंह पुत्रगण स्व. मुकना की हिस्सेदारी 1/6 बराबर, फूला देवी पत्नी स्व. मुकना की हिस्सेदारी 1/12, घमण्डी पुत्र तोफल्या की हिस्सेदारी 1/3, जंगलिया पुत्र भौर्या की हिस्सेदारी 1/3 रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व सरकारी लगान का निर्धारण इसी अनुसार किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार बामनवास को लिखा जावे। तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस इस निर्णय के भाग रहेंगे।


उप जिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 21-12-21 को जारी की गई ।


 उप जिला कलक्टर
 बामनवास (स.मा.)
 (प्रियंका कडेली)
 उपखण्ड अधिकारी
 बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: प्रियंका कडेला, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या
17/2015

तारीख रजू
16.4.2015

तारीख फैसला
21-12-23

1. शान्ति लाल पुत्र स्व. बंशी,
2. प्रदीप कुमार पुत्र स्व. बंशी
3. फाबूली पत्नी स्व. बंशी,

सभी जाति बैरवा, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास,

वादीगण

बनाम

1. घमण्डी पुत्र तोफल्या
2. जंगलिया पुत्र भौर्या,
3. गोपाल पुत्र मुकना,
4. श्रीमती फूला देवी पत्नी मुकना,
5. छुट्टन लाल पुत्र मुकना,
6. भवानी सिंह पुत्र मुकना,

सभी जाति बैरवा, निवासी बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास

7. पंजाब नेशनल बैंक, बामनवास, जरिये शाखा प्रबन्धक एवं
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास

प्रतिवादीगण


वाद पत्र बावत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:

1. श्री रामसिंह मीना, अधिवक्ता, वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादीगण की ओर से - कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय


दिनांक: 21-12-23


उप जिला कलेक्टर
बामनवास (सोमा)


इस निर्णय द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादी द्वारा कथन किया गया है कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 3976 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 3977 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 3978 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 4153 रकवा 0.11 हेक्टेयर एवं 4154 रकवा 0.10 हेक्टेयर (कुल किता 5, कुल रकवा 0.45 हेक्टेयर) स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास, नया खाता संख्या 75 (पुराना खाता संख्या 110), कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 8389/3979 रकवा 0.11 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास, नया खाता संख्या 76 व पुराना खाता संख्या 111, कृषि भूमि खसरा नम्बर 7594 रकवा 0.74 हेक्टेयर, 7596 रकवा 0.16 हेक्टेयर, 8323/7550 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 8325/7551 रकवा 0.30 हेक्टेयर (कुल किता 4, कुल रकवा 1.31 हेक्टेयर) स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी, नया खाता संख्या 79 व पुराना खाता संख्या 95 व 96 तथा कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 7040 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 7042 रकवा 0.20 हेक्टेयर व 7043 रकवा 0.27 हेक्टेयर (कुल किता 3 कुल रकवा 0.52 हेक्टेयर) स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द सी नया खाता संख्या 97 व पुराना खाता संख्या 135 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात् रही हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण का उपरोक्त कृषि भूमि में वर्तमान में संयुक्त रूप से खातेदारी का अंकन है। वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी घमण्डी का 1/4 हिस्सा, वादीगण का 1/4 हिस्सा, जंगलिया पुत्र भौर्या का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है। तदनुसार ही पक्षकारान मुकदमा का राजस्व रिकॉर्ड में

Agarwal
उप जिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

अंकन मौजूद है। पक्षकारान मुकदमा के मध्य हिस्से अनुसार कृषि भूमि का मीके पर बाहमी बंटवारा हो चुका है। वादीगण के हिस्से में हाल खसरा नम्बर 8325/7551 रकवा 0.30 हेक्टेयर, 8323/7550 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 7042 रकवा 0.20 हेक्टेयर (कुल कित्ता 3, कुल रकवा 61 एयर) भूमि आई है, जिस पर वादीगण काबिज हैं, लेकिन पक्षकारों का नाम संयुक्त खातेदारी में चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 द्वारा अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 7 बैंक के अधीन रहन मुर्तहन की हुई है। चरण संख्या 3 में वर्णित वादीगण की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 आये दिन मजाहमत पैदा करते रहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से खातेदारी अलग करवाने बाबत कहा जा चुका है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 भूमि का अलग खातेदारी में अंकन करवाने बाबत तैयार नहीं हैं। दिनांक 7.4.2015 को वादीगण अपने हिस्से व कब्जे की भूमि की सार संभाल कर रहे थे तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण के कब्जे काशत में मजाहमत पैदा करने का प्रयास किया, जिसका वादीगण द्वारा विरोध किया गया व रिकॉर्ड में भूमि का विभाजन करवाये जाने बाबत कहा गया तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने इन्कार कर दिया। शेष प्रतिवादीगण ने भी भूमि का विभाजन कराने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 7 ने भी विभाजन करने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादीगण को कब्जे काशत में मजाहमत पैदा करते रहते हैं, इसलिए वादीगण को हस्तगत वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वाद पत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर


उप जिला कलक्टर
बामनदास (स०मा०)

3976 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 3977 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 3978 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 4153 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 4154 रकवा 0.10 हेक्टेयर, (कुल किता 5, कुल रकवा 0.45 हेक्टेयर) स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द, नया खाता संख्या 75 (पुराना खाता संख्या 110), कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 8389/3979 रकवा 0.11 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द, नया खाता संख्या 76 व पुराना खाता संख्या 111, कृषि भूमि खसरा नम्बर 7594 रकवा 0.74 हेक्टेयर, 7596 रकवा 0.16 हेक्टेयर, 8323/7550 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 8325/7551 रकवा 0.30 हेक्टेयर (कुल किता 4, कुल रकवा 1.31 हेक्टेयर) स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी, नया खाता संख्या 79 व पुराना खाता संख्या 95 व 96 तथा कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 7040 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 7042 रकवा 0.20 हेक्टेयर व 7043 रकवा 0.27 हेक्टेयर (कुल किता 3 कुल रकवा 0.52 हेक्टेयर) स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द सी नया खाता संख्या 97 व पुराना खाता संख्या 135 में से बाहमी विभाजन के अनुसार वादीगण के 1/4 हिस्से में आई कृषि भूमि खसरा नम्बर 8325/7551 रकवा 0.30 हेक्टेयर, 8323/7550 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 7042 रकवा 0.20 हेक्टेयर (कुल किता 3, कुल रकवा 61 एयर) को मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजित करते हुए अलग से वादीगण की खातेदारी में अंकन करवाये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जावे, विकल्प में उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में से वादीगण का 1/4 हिस्सा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजित करते हुए



 उप जिला कलेक्टर
 बामनवास (स०मा०)

वादीगण की अलग खातेदारी में अंकन किए जाने की डिक्री बहक वादीगण फरमाई जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि में वादीगण को किसी प्रकार की मजाहमत न तो स्वयं पैदा करें और न ही किसी अन्य से करवायें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई ।

प्रतिवादी संख्या 7 ने दिनांक 6.5.2015 को वकालतनामा पेश किया । दिनांक 26.11.2015 को प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया, किन्तु उल्लेखनीय होगा कि उसके विरुद्ध पारित एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश निरस्त करवाये बिना प्रतिवादी संख्या 7 के जवाब दावे को रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता ।

वाद पत्र के समर्थन में वादीगण की ओर से नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 संवत् 2069 से 2072 ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द 'बी', नकल सत्य प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास 'सी' प्रदर्श 3, जमाबंदी संवत् 2069 लगायत 2072 खाता संख्या नया 79 (पुराना 95, 96) ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी प्रदर्श 4 प्रस्तुत किए गए हैं ।



उप जिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

दिनांक 25.2.2020 को वकील वादीगण ने गवाह शान्ति लाल पी.ड. 1 एवं प्रदीप कुमार पी.ड. 2 के बयान दर्ज करवाये । गवाह शान्ति लाल द्वारा शपथ पर अपने बयानों में कहा गया है कि उसके शपथ पत्र को मेरे दावे का भाग समझा जावे । वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों व मुताबिक वाद पत्र उसका दावा डिक्री किया जावे ।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

वादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य विभाजन करने हेतु तहसीलदार बामनवास से विभाजन स्कीम मंगवाने का अनुरोध किया ।


बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संख्या 2069 लगायत 2072 खाता संख्या नया 75 (पुराना 110) ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द बी, तहसील बामनवास, जमाबंदी संवत् 2069 लगायत 2072 खाता संख्या नया 97 (पुराना 135) ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द सी, तहसील बामनवास, जमाबंदी संवत् 2069 लगायत 2072 खाता संख्या नया 79 (पुराना 95, 96) ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी, तहसील बामनवास एवं नकल नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया । वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा


उप जिला कलक्टर
बामनवास (सोमा)

तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा है। पक्षकारों के मध्य भूमि विभाजन किए जाने हेतु वादीगण का वाद अंतिम तौर पर डिकी किया जाना उचित है।

आदेश


अतः उपरोक्त विवेचन व तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रस्तुत विभाजन स्कीम के अनुसार वादीगण का वाद अंतिम तौर पर डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 3976 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 3977 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 3978 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 4153 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 4154 रकवा 0.10 हेक्टेयर (कुल किता 5, कुल रकवा 0.45 हेक्टेयर), हाल खसरा नम्बर 8389/3979 रकवा 0.11 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द, भूमि खसरा नम्बर 7594 रकवा 0.74 हेक्टेयर, 7596 रकवा 0.16 हेक्टेयर, 8323/7550 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 8325/7551 रकवा 0.30 हेक्टेयर (कुल किता 4, कुल रकवा 1.31 हेक्टेयर) स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी, भूमि हाल खसरा नम्बर 7040 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 7042 रकवा 0.20 हेक्टेयर व 7043 रकवा 0.27 हेक्टेयर (कुल किता 3 कुल रकवा 0.52 हेक्टेयर) स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द सी तहसील बामनवास में से आराजी खसरा नम्बर 7042/1 रकवा 0.19 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द सी (नया खाता संख्या 97 व पुराना खाता संख्या 135), 8323/7550 रकवा 0.11 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी (नया खाता संख्या 79 व पुराना खाता संख्या 95 व 96) एवं


उप जिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)


8325/7551 रकवा 0.30 हेक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी खुर्द डी (नया खाता संख्या 79 व पुराना खाता संख्या 95 व 96) (रकवा 0.60 हेक्टेयर) में 2/3 हिस्सेदारी शान्ति लाल व प्रदीप कुमार पुत्रगण बंशी जाति बैरवा, साकिन बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास की रहेगी, जबकि फाबूली पत्नी बंशी जाति बैरवा, साकिन बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास की हिस्सेदारी 1/3 रहेगी। आराजी खसरा नम्बर 8389/3979 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 3976 रकवा 0.13 हेक्टेयर, 3977 रकवा 0.06 हेक्टेयर, 3978 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 4153 रकवा 0.11 हेक्टेयर, 4154 रकवा 0.10 हेक्टेयर, 7594 रकवा 0.74 हेक्टेयर, 7596 रकवा 0.16 हेक्टेयर (कुल रकवा 1.46 हेक्टेयर) में से गोपाल पुत्र स्व. मुकना की हिस्सेदारी 1/12, नाबालिग छुट्टन एवं भवानी सिंह पुत्रगण स्व. मुकना की हिस्सेदारी 1/6 बराबर, फूला देवी पत्नी स्व. मुकना की हिस्सेदारी 1/12, घमण्डी पुत्र तोफल्या की हिस्सेदारी 1/3, रामअवतार, रामनरेश एवं रामेश्वर पुत्र जंगलिया जाति बैरवा निवासी बामनवास पट्टी खुर्द, तहसील बामनवास की हिस्सेदारी बराबर 1/4, सरबती पत्नी जंगलिया, जाति बैरवा निवासी देह की हिस्सेदारी 1/1 होगी। खातेदार गोपाल पुत्र मुकना का खसरा नम्बर 3976, 3977, 3978, 4153 एवं 4154 में 1/16 हिस्सा एस.बी.आई. शाखा बामनवास को रहन रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 7040 रकवा 0.05 हेक्टेयर, 7042/2 रकवा 0.01 हेक्टेयर एवं 7043 रकवा 0.27 हेक्टेयर (कुल रकवा 0.33 हेक्टेयर) में गोपाल पुत्र मुकना की हिस्सेदारी 1/12, नाबालिग छुट्टन एवं भवानी सिंह

Bijan
उप जिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

पुत्रगण स्व. मुकना की हिस्सेदारी 1/6 बराबर, फूला देवी पत्नी स्व. मुकना की हिस्सेदारी 1/12, घमण्डी पुत्र तोफल्या की हिस्सेदारी 1/3, जंगलिया पुत्र भौर्या की हिस्सेदारी 1/3 रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व सरकारी लगान का निर्धारण इसी अनुसार किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार बामनवास को लिखा जावे। तहसीलदार बामनवास द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस इस निर्णय के भाग रहेंगे। डिक्री तदनुसार तैयार की जावे।


 उप जिला कलेक्टर
 बामनवास (स०मा०)
 (प्रियंका कडेला)
 उपजिला कलेक्टर
 बामनवास

निर्णय आज दिनांक 21-12-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 उप जिला कलेक्टर
 बामनवास (स०मा०)
 (प्रियंका कडेला)
 उप जिला कलेक्टर
 बामनवास